न्यायालयः—अतिरिक्त सदस्य द्वितीय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, जबलपुर(म0प्र0)

Registration No-MACC-2481/2024
Filing No-MACC-12387/2023
Filing Date-14-03-2024
CNR No.MP2001-010368-2024

नेशनल लोक अदालत
खण्डपीठ कं0—01

राकेश कुमार यादव पिता नमैया यादव
उम्र—45 वर्ष, निवासी— म.नं.—156/2,
वार्ड नं0—9, खरखरी, पिपरिया, परोहा,
तहसील रीठी, जिला कटनी (म0प्र0)

—आवेदक

—विरूद्ध—

हेमंत कुमार साहू पिता श्री मगनलाल साहू,
निवासी—1041 ग्राम उमरिया पान,
ढीमरखेडा, जिला कटनी (म0प्र0)

—वाहन चालक

सुमेरा लाल सेन पिता मुन्ना लाल सेन,
निवासी— 170, पडवार तहसील बहोरीबंद,
जिला कटनी (म0प्र0)

—वाहन मालिक

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड,
शाखा—कार्यालय 495, मढाताल, करमचंद
चौक के पास, जिला जबलपुर (म0प्र0)

—बीमा कंपनी
(अनावेदकगण)

:: अधिनिर्णय ::
(दिनांक–14.12.2024 को पारित)

---

01. आवेदक द्वारा मोटरयान अधिनियम की धारा–166 के अंतर्गत दुर्घटना में कारित चोटों की क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने हेतु अनावेदकगण के विरूद्ध आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

02. इस प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री प्रशांत साहू तथा अनावेदक कं0–3 बीमा कंपनी की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र सोहाने द्वारा राजीनामा आवेदन प्रस्तुत कर राजीनामा के अनुसार अवार्ड दिये जाने हेतु निवेदन किया गया।

03. उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा विधि अनुसार होने से तथा आवेदन पत्र संतुष्टि योग्य होने से स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार अवार्ड दिया जाता है कि :–

(क) अनावेदक कं0–3 बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति के रूप में रूपये **400000/–** **(चार लाख रूपये)** दो माह के भीतर द्वितीय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के **खाता कमांक– 519302010004579, IFSC CODE- UBIN0551937** में **RTGS/NEFT** अथवा **चैक** के माध्यम से इस अधिकरण के खाते में जमा कर न्यायालय को सूचित करें।

(ख)–दो माह की अवधि में राशि जमा किये जाने में व्यतिक्रम किये जाने पर बीमा कंपनी अधिनिर्णीत राशि पर **06 प्रतिशत** प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करेगी।

(ग) न्यादृष्टांत– मांगीलाल बनाम हैदरअली व अन्य 2009(3) एम. पी.एल.जे. 319, में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित सिद्धांत व मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए आवेदक के चिकित्सा बिल/चिकित्सा अवधि तथा अवार्ड राशि को देखते हुए उक्त कुल क्षतिपूर्ति राशि आवेदक को भुगतान किया जाना उचित प्रतीत होता है। आवेदक को प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति राशि उसे बचत खाते के माध्यम से भुगतान की जावे।

(घ) आवेदक के लिए यह अनिवार्य होगा कि अधिनिर्णीत राशि के भुगतान के पूर्व अधिकरण के समक्ष पासबुक की फोटोप्रति एवं आधारकार्ड प्रस्तुत किये जाने की दशा में आवेदक के खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से अंतरित की जावेगी, व्यतिक्रम किये जाने

की दशा में ऐसी राशि का भुगतान नहीं किया जा सकेगा।

(च) उभयपक्ष अपना–अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।

(छ) अधिनिर्णय नियमानुसार सी.आई.एस. में अपलोड किया जावे।

(रविन्द्र सिंह)
सदस्य अधिवक्ता
खण्डपीठ क्रं0–01
नेशनल लोक अदालत

(सुनील मालवी)
पीठासीन अधिकारी
खण्डपीठ क्रं0–01
नेशनल लोक अदालत